IIM RANCHI

बहुमुखविकासो गन्तव्यः

लेखा का वार्षिक विवरण

वर्ष 2009–11

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय (केन्द्रीय), लखनऊ शाखा झारखण्ड, राँची , महालेखाकार कार्यालय का मुख्य भवन, राँची

संख्याः ओ०ए०डी०(सी)/ एस.ए.आर.- भ0प्र0सं0रॉं0/ 2010-11/ 380 दिनांकः18.01.2013

सेवा में,

निदेशक,
भारतीय प्रबंध संस्थान,
सूचना भवन, आड्रे हाउस कैम्पस,
मेयर्स रोड, राँची–834 008

विषयः– भारतीय प्रबंध संस्थान, राँची के 15.12.2009 से 31.03.2011 की अवधि के लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र।

महाशय,

मैं 15.12.2009 से 31.03.2011 की अवधि के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान, राँची (भ0प्र0सं0रा) के लेखा परिक्षित वार्षिक लेखा समेत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर रहा हूँ।

2 इन सभी दस्तावेजों की एक प्रति सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की गई है ।

3 इस लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा, परीक्षा प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखे जाने पूर्व इस पर भारतीय प्रबंध संस्थान, राँची के शासी निकाय/ प्रबंधन पर्षद द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में विधिवत विचार कर इसे अनुमोदित एवं अंगीकृत किया जाना चाहिए ।

4 (i) लेखा परिक्षित वार्षिक लेखा समेत लेखा परीक्षा प्रमाण तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को अपनाने संबंधी शासी के संकल्प (ii) इसे संसद में प्रस्तुत किए जाने की तिथि तथा (iii) संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति यथासमय हमारे अभिलेख एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली को आगे प्रेषण के लिए कृपया इस कार्यालय को भेजी जाए ।

5 कृपया संलग्नको के साथ इस पत्र की पावती भेजी जाए ।

भवदीय

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ

संलग्नकः यथोक्त ।

15 दिसम्बर 2009 से मार्च 2011 की अवधि के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान, राँची के लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने भारतीय प्रबंध संस्थान (भ0प्र0सं0रॉ), राँची के 31 मार्च 2011 तक के तुलन पत्र (बैलेंस शीट) तथा 15.12.2009 से 31.03. 2011 की अवधि के लिए आय एवं व्यय खातों का लेखा परीक्षा किया। ऐसा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के खंड 20 (1) के तहत् एवं समितियों का निबंधन अधिनियम 1860 के अंतर्गत संगठनों के ज्ञापन के खंड 3 (viii एवं ix) के साथ पठित (15.12.2009 को निबंधित) तथा संस्थान का नियम 18 भी देखा जाय । यह लेखा परीक्षा 2014–15 तक की अवधि के लिए सौपी गई है। यह वित्तीय अभ्युक्तियाँ (कथन) प्रबंध संस्थान की जिम्मेवारी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2) इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा प्रचलन पद्धति के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) की टिप्पणियाँ शामिल हैं । वित्तीय लेन–देन पर विधि, नियम एवं विनियम (आधिकारिक एवं नियमितता) के अनुपालन तथा दक्षता सह निष्पादन पहलुओं आदि की लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई हैं, निरीक्षण प्रतिवेदन/ भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है ।

3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखाओं की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम इस विषय में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया कि ''वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त है'', इसके लिए योजना बनाते और लेखापरीक्षा करते हैं। लेखा परीक्षा में नमूने के आधार पर जाँच करना रकमों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होते हैं। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त किए गये लेखाकरण सिद्धान्तों तथा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समस्त प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार मुहैया कराती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमनें वह समस्त सूचना और स्पस्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी अथवा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उददेश्य के लिए आवश्यक थें।

(ii) तुलन–पत्र, आय–व्यय लेखा एवं प्राप्ति भुगतान एवं लेखा, जिन्हें इस प्रतिवेदन में लिया गया है उसे वित्त मंत्रालय भारत सरकार,द्वारा अनुमोदित सामान्य संरूप में तैयार किया गया है।

(iii) हमारी राय में समितियों का निबंधन अधिनियम 1860 के अंतर्गत संगठनों के ज्ञापन के खंड 3 (viii एवं ix) के साथ पठित तथा (15.12.2009 को निबंधित) संस्थान का नियम 18 के तहत् आवश्यक लेखा–बही एवं अन्य संबंधित रिकॉड अपेक्षित हैं, जैसा कि हमारे निरीक्षण से प्रतीत होता हैं, भारतीय प्रबंध संस्थान, राँची द्वारा उचित अवस्था में रखे गए हैं।

(iv) हम आगे प्रतिवेदित करते है कि:

अ. **तुलन पत्र**

अ 1. **देयता**

अ.1.1. **अचल संपत्ति (अनुसूची–3) का अवमूल्यन रू॰ 29.11 लाख**

इसमें सर्वर, कम्प्यूटर तथा संबंधित एप्लीकेशन–सॉफ्टवेयर, जिसमें संस्थापित सर्वर रैक शामिल हैं, जैसी संपत्ति का रू॰ 14,53,546 का अवमूल्यन शामिल है, जो बही के समापन क अवसर पर उपयोग में नहीं लाए गए।

जिसका परिणाम अचल संपत्ति एवं पूंजी अनुदान की रू॰ 14.54 लाख की न्यूनोक्ति के रूप मे हुआ।

ब. **आय एवं व्यय खाता**

ब. 1 **रू॰ 132.38 लाख के अनाधिकृत सामूहिक कोष (कॉरपस फंड) का गठन।**

संस्थान ने आंतरिक आय जैसे शुल्क/अंशदान, अनुसूचित बैंकों द्वारा अर्जित ब्याज और अन्य आय से रू॰ 132.38 लाख के सामूहिक कोष (कॉरपस फंड) का गठन किया। ऐसा सामूहिक कोष के लिए कोई निश्चित उद्देश्य स्पष्ट किए बगैर एवं संचालक मंडल द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय की अनुमति लिए बिना ही किया गया।

अतः रू॰ 108.15 लाख (132.38 लाख से 24.23 लाख घटाकर) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त करने का दावा भी अप्रासंगिक था।

स. **प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता।**

स. 1 **प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता तैयार न करना।**

लेखा के एक रूप फॉरमेट के तहत संस्थान को तुलन पत्र के साथ–साथ प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता तथा आय एवं व्यय खाता का रख–रखाव करना आवश्यक होता है, पर पाया गया कि 31.03.2011 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता तैयार नहीं किया गया था।

द सहायता अनुदान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा (15.12.2009 से 31.03.2011)योजना शीर्ष के अंतर्गत रू॰ 398.15 लाख का अनुदान प्राप्त किया गया, जिसमें से रू॰ 236.57 लाख गैर-आवर्ती अनुदान (पूंजीगत अनुदान) एवं रू॰ 161.58 लाख आवर्ती अनुदान था। संस्थान ने रू॰ 200.00 लाख मार्च 2011 के महीने में प्राप्त किए। संस्थान ने 31 मार्च 2011 तक

रू॰ 301.00 लाख (आवर्ती अनुदान के रू॰ 161.58 लाख एवं गैर-आवर्ती अनुदान के रू॰ 139.42 लाख) का उपयोग किया तथा 31 मार्च 2011 तक 97.15 लाख रुपए (गैर.आवर्ती) अप्रयुक्त राशि के रूप में शेष था ।

प्रबंधन पत्र

जो विसंगतियाँ (त्रुटियाँ) इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गयी है, उनकी जानकारी संस्थान को प्रबंधन पत्र के द्वारा दे दी गयी है, जो अलग से उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्यवाही के लिए निर्गत की गयी है।

(v) पूर्ववर्ती अवतरण में दिये गये अवलोकनो के मद्देनजर हमारे प्रतिवेदन के अनुसार तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा, जिसका निपटारा इस प्रतिवेदन के द्वारा किया गया है, लेखा बही के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में तथा हमे उपलब्ध कराए जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण, लेखा विधि की नीतियों, लेखा पर टिप्पणियों तथा उपर वर्णित महत्वपूर्ण मुद्दों तथा इस लेखा परीक्षा की प्रतिवेदन की अनुलग्नक में उल्लिखित बातों के अनुसार, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा विधि के सिद्धांतों की अनुरूपता में सच्ची एवं न्यायोचित दृष्टि (मत) उपलब्ध करते हैं।

क) यह भारतीय प्रबंध संस्थान, राँची के 31 मार्च 2011 से संबंधित तुलन पत्र की परिस्थिति से संबंधित है और

ख) यह उक्त तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष में आय एवं व्यय खाता के घाटे से संबंधित है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान : लखनऊ

दिनांक :16...01.2013

प्रधान निदेशक,लेखा परीक्षा (केन्द्रीय)
लखनऊ

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिशिष्ट

1. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

निम्नलिखित क्षेत्रों में संस्थान को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

- अपनी कार्यालय प्रक्रिया, लेखा विधि एवं पुस्तकालय क्रय नियमावली तैयार करने की या किसी अन्य संगठन की ऐसी नियमावली अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की (कार्य की प्रकृति) नौकरी के प्रकार (विवरण) एवं कर्त्तव्य सुस्पष्ट किए जाएं।
- संपत्ति के रजिस्टर (पंजी) एवं मूल्यवान वस्तुओं के रजिस्टर की रख–रखाव की आवश्यकता है।
- ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाए ताकि आपूर्तिकर्त्ताओं के बीजक (इनवॉयस) तथा वस्तुओं की प्राप्ति के नोट्स लेखा विभाग से होकर गुजरें।
- सौदों (ट्रैनजैकशन) को अधिप्रमाणित करने के लिए रोकड़ बही एवं खाता–बही का निरीक्षण कर उस पर हस्ताक्षर करें।
- महीने के अंत में रोकड़ सत्यापन की प्रक्रिया अपनाएं।
- शुल्क प्राप्ति या बैंक में जमा के लिए छात्रों को रसीद उपलब्ध कराएं।
- आंतरिक प्रबंधन रिपोर्टिंग (सूचना) प्रणाली का विकास करें।
- विभिन्न वस्तुओं के स्कंध पंजी (स्टॉक रजिस्टर) का रख–रखाव करें।
- निदेशक के पास सारी वित्तीय शक्तियाँ न रखकर अधीनस्थ अधिकारियों को वित्तीय शक्तियाँ देना।
- प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के लिए वार्षिक बजट तैयार करना और अतिरेक कोष के निवेश के लिए या अन्य वित्तीय मामलों पर निर्णय के लिए वित्त समिति का गठन करना।

2. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** – संस्थान में आंतरिक लेखा परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।
3. **वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली** – संस्थान उपभोज्य एवं गैर उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नहीं करता है।
4. **वैधानिक देय (शुल्क) के भुगतान की नियमितता** – संस्थान वैधानिक देय (शुल्क) के भुगतान में नियमित है।

पुष्कर
उपनिदेशक (केन्द्रीय)

भारतीय प्रबंध संस्थान

31 मार्च 2011 के आधार पर तुलनपत्र (चिट्ठा)

विवरण	एस सी एच	31.3.2011	
कोष के स्रोत			
सामूहिक कोष	1		13,238,445.00
एम.एच.आर.डी. से अनुदान	2		20,746,788.18
		कुल	**33,985,233.18**
कोष का उपयोग			
स्थायी संपत्तियां			
सकल खण्ड	3	13,942,164.82	
घटाया : ह्रास	3	2,910,711.82	
शुद्ध खण्ड			11,031,453.00
चालू संपत्तियां ऋण एवं अग्रिम			
रोकड़ एवं बैंक शेष	4	2,591,666.00	
ऋण अग्रिम एवं अन्य संपत्तियां	4	31,335,506.50	
		33,927,172.50	
घटाया : चालू दायित्व एवं प्रावधान	5	10,973,392.32	22,953,780.18
		कुल	**33,985,233.18**

महत्वपूर्ण लेखा सिद्धांत एवं नोट लेखा के अंग हैं-16

भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची

15-12-209 से 31-3-2011 की अवधि के लिए आय एवं व्यय खाता

विशिष्टियां	एस सी एच	31.3.2011
आय :		
अनुदान/आर्थिक सहायता	6	16,157,500.00
शुल्क/अंशदान	7	13,367,450.00
अर्जित ब्याज	8	519,195.00
अन्य आय	9	101,800.00
कुल (A)		**30,145,945.00**
व्यय :		
स्थापना व्यय	10	3,564,227.00
शैक्षणिक व्यय	11	4,981,004.00
प्रशासनिक व्यय	12	19,177,431.50
कुल (B)		**27,722,662.50**
व्यय पर आय का संचयी अधिव्यय (A-B)		**2,423,282.50**
घटायाः सामूहिक कोष में अंतरण		13,238,445.00
शेष घाटा रहने परएम.एच.आर.डी. से किया गया दावा		**(10,815,162.50)**

महत्वपूर्ण लेखा सिद्धांत एवं नोट लेखा के अंग हैं-16

भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची

31 मार्च 2011 के आधार पर अनुसूचि चिट्ठा का हिस्सा है

विशिष्टियां	31-3-2011	
1. सामूहिक कोष :		
वर्ष की शुरूआत के आधार पर शेष		-
जोड़ः अनुसूचि 15 से अंतरण		13,238,445.00
	कुल	13,238,445.00
2- अनुदान एम.एच.आर.डी.		
1. पूंजीगत अनुदान		
अंतिम लेखा के आधार पर	-	
वर्ष के दौरान जोड़	39,815,000.00	
	39,815,000.00	
घटाया : राजस्व अनुदान के अंतरण	2,910,711.82	
	36,904,288.18	
घटाया : राजस्व अनुदान के हस्तातंरण	16,157,500.00	20,746,788.18
2. राजस्व अनुदान :-		
अंतिम लेखा के आाधार पर	-	
वर्ष के दौरान प्राप्ति	-	
जोड़ः पूंजीगत अनुदान से अंतरण	16,157,500.00	
	16,157,500.00	
घटायाः आय एवं व्यय खाता को अंतरण	16,157,500.00	-
	कुल	20,746,788.18
4. चालू संपत्तियां ऋण अग्रिम इत्यादि		
A. चालू संपत्तियां		
1. हस्तस्थ रोकड़ शेष		
(चेक/ड्राफ्ट पेशगी रोकड़ समेत)		75,985.00
2. बैंक शेष		
(a) अनुसूचित बैंकों में		
चालू खाता		
जमा खातों पर (मार्जिन मनी के साथ)		
बचत खातों पर		2,515,681.00
	कुल (A)	2,591,666.00

B. ऋण अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियां		
1. ऋण एवं अग्रिम		
(a) कर्मचारी		-
(b) अन्य (उल्लेख करें)		165,000.00
2. पूर्वदत्त व्यय		
(a) बीमा		6,577.00
(b) ए.एम.सी. समेत अन्य व्यय		310,517.00
(c) प्रतिभूति जमा		4,450.00
(d) अन्य		33,800.00
3. अन्य चालू सम्पत्तियां		
(a) ए.एम.आर.डी. से प्राप्य		30,815,162.50
	कुल (B)	31,335,506.50
	कुल (A+B)	33,927,172.50
5 - चालू दायित्व एवं प्रावधान		
A. चालू दायित्व		
1. विविध लेनदार		
(a) माल के लिए		5,211,862.82
(b) अन्य		4,973,296.50
2. अवधान जमा		220,000.00
3. मेस जमा		220,000.00
4. वैधानिक दायित्व		
(a) कालातीत		-
(b) अन्य		348,233.00
5. अन्य चालू दायित्व		-
	कुल (A)	10,973,392.32
B. प्रावधान		
1. कर के लिए		-
4. अन्य		
	TOTAL (B)	-
	TOTAL (A+B)	**10,973,392.32**

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची

अनुसूची-3, स्थायी सम्पत्तियां एवं ह्रास

विवरण	शुद्ध ब्लॉक				DEPRECIATION BLOCK				NET BLOCK	
	स्कल खंड वर्ष के शु–आत के आधार पर लागत मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान घटाना	वर्ष समाप्ति पर लागत मूल्यांकन	ह्रास खंड वर्ष के शुरूआत के आधार पर	वर्ष के लिए	घटाना समायोजना	वर्ष के अंत के लिए कुल योग	चालू वर्ष की समाप्ति के आधार पर	पिछले वर्ष की समाप्ति के आधार पर
स्थायी सम्पत्तियां										
भवन : IIMR का नहीं है	-	1,297,421.00	-	1,297,421.00	-	48,771.00	-	48,771.00	1,248,650.00	-
संयंत्र एवं मशीनरी	-	1,300,221.00	-	1,300,221.00	-	137,736.00	-	137,736.00	1,162,485.00	-
फर्नीचर, उपस्कर एवं										
बिजली संस्थापन कम्प्यूटर/	-	3,436,485.00	-	3,436,485.00	-	244,744.00	-	244,744.00	3,191,741.00	-
इससे संबंधित वस्तुएं	-	7,637,326.82	-	7,637,326.82	-	2,347,291.82	-	2,347,291.82	5,290,035.00	-
किताबें	-	265,621.00	-	265,621.00	-	131,914.00	-	131,914.00	133,707.00	-
अन्य स्थायी सम्पत्तियां	-	5,090.00	-	5,090.00	-	255.00	-	255.00	4,835.00	-
चालू वर्ष का कुल योग		13,942,164.82	-	13,942,164.82	-	2,910,711.82	-	2,910,711.82	11,031,453.00	-
पिछले वर्ष के आंकड़े	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची

31 मार्च 2011 के आधार पर अनुसूचियां चिट्ठा का अंग है

विवरण		31-3-2011
6 सहायता अनुदान/आर्थिक सहायता		
(प्राप्त अटल अनुदान एवं आर्थिक सहायता)		
1. केंद्र सरकार - MHRD		16,157,500.00
	कुल	16,157,500.00
7 - शुल्क/अंशदान		
1. जब्त स्वीकृति शुल्क		150,000.00
2. ट्यूशन शुल्क		13,200,000.00
3. जब्त शुल्क		15,000.00
4. अन्य शुल्क		2,450.00
	कुल	13,367,450.00
8 - अर्जित ब्याज		
1. बचत खातों पर		
a) With Scheduled Banks		519,195.00
	कुल	519,195.00
9 - अन्य दस्तावेज की बिक्री		
1. Sale of Tender Documents		1,000.00
2. विविध आय		100,800.00
	कुल	101,800.00
10 - स्थापना व्यय		
1. वेतन एवं मजदूरी		2,975,152.00
2. बोनस एवं भत्ते		441,202.00
3. कर्मचारी कल्याण व्यय		147,873.00
	कुल	3,564,227.00
11 - शैक्षणिक व्यय		
1. पाठ्यक्रम की वस्तुओं पर व्यय		458,369.00
2. दौराशील संकाय का मानदेय		3,936,000.00
3. पत्रिकाओं एवं इ बुक्स की सदस्यता शुल्क पर व्यय		586,635.00
	कुल	4,981,004.00
12 - प्रशासनिक व्यय		
A. आधारभूत संरचना		

1. बिजली		200,000.00
2. किराया, कीमत एवं कर		630,000.00
3. जेनरेटर एवं उपकरणों का किराया		3,549,678.00
B. संचार		
1. टेलीफोन एवं मोबाइल शुल्क		45,802.00
2. डाक एवं कुरियर शुल्क		75,805.00
3. इंटरनेट शुल्क		499,786.00
C. विज्ञापन एवं प्रचार		2,902,595.00
D. मरम्मत एवं अनुरक्षण		
1. गृह व्यवस्था व्यय		496,350.00
2. अन्य अनुरक्षण		185,967.00
E. अन्य		
1. मुद्रण एवं लेखन सामग्री		881,177.00
2. समाचार पत्र एवं पत्रिकाए		23,312.00
3. यात्रा एवं परिवहन व्यय		2,929,927.00
4. यात्रा एवं परिवहन दौराशील संकाय		592,416.00
5. अंकेक्षकों का पारिश्रमिक		75,150.00
6. बैंक शुल्क एवं कमीशन		1,425.00
7. बोर्ड मीटिंग व्यय		591,864.00
8. भोजन व्यवस्था एवं आवास पर व्यय		168,960.00
9. बीमा		18,429.00
10. नियोजन व्यय		410,233.00
11. कार्यालय व्यय		11,422.00
12. विविध व्यय		36,604.00
13. महत्वपूर्ण दिवस का उत्सव		6,607.00
14. पेशेवर शुल्क		1,953,021.00
15. उद्‌घाटन व्यय		211,014.00
16. जीडीपीआई व्यय		1,065,964.00
17. टीडीएस पर ब्याज		354.00
18. मानवशक्ति तैनाती		1,243,746.50
19. आगन्तुक आवास व्यय		69,823.00
20. सेमिनार एवं सम्मेलन		300,000.00
	कुल	**19,177,431.50**

भारतीय प्रबंध संस्थान रांची

31 मार्च 2011 के आधार पर अनुसूचियां चिट्ठा के अंग हैं

विवरण	31.3.2011	
13 - कुल प्राप्तियां		
6 - सहायक अनुदान / आर्थिक सहायता		16,157,500.00
7 - शुल्क / अंशदान		13,367,450.00
8 - अर्जित ब्याज		519,195.00
9 - अन्य आय		101,800.00
	TOTAL	**30,145,945.00**
14 - कुल भुगतान		
10 - स्थापना व्यय		3,564,227.00
11 - शैक्षणिक व्यय		4,981,004.00
12 -प्रशासनिक व्यय		19,177,431.50
	TOTAL	**27,722,662.50**
15 - अतिरेक का सम्भाजन		
कुल प्राप्तीयाँ		30,145,945.00
घटाया : कुल भुगतान अतिरेक		27,722,662.50
अतरिक्त जोड़		2,423,282.50
घटाया : सामूहिक कोष को अंतरण		13,238,445.00
एम एच आर डी से किया गया दावा		**(10,815,162.50)**

सहायक अनुदान

दिनांक	प्राप्त कुल राशि	गैर आवर्ती	आवर्ती
15/02/2010	7,500,000.00	7,500,000.00	-
26/03/2010	12,315,000.00	6,157,500.00	6,157,500.00
2009-10	**19,815,000.00**	**13,657,500.00**	**6,157,500.00**
02/04/2011	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2010-11	**20,000,000.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**
कुल प्राप्तियां	**39,815,000.00**	**23,657,500.00**	**16,157,500.00**
घटाया : 31-3-2011 तक उपयोग में लाया गया			
पूंजीगत व्यय	13,942,164.82	13,942,164.82	-
रेवेन्यू व्यय	26,972,662.50	-	26,972,662.50
कुल खर्च	**40,914,827.32**	**13,942,164.82**	**26,972,662.50**
31-3-2011 को शेष	**(1,099,827.32)**	**9,715,335.18**	**(10,815,162.50)**
पूंजीगत कोष प्रस्तुत किया गया			
एम एच आर डी को लौटाया जाने वाला पूंजीगत कोष		9,715,335.18	
स्थायी सम्पत्ति - शुद्ध खंड		11,031,453.00	
		20,746,788.18	

भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची

रोकड़ प्रवाह का विवरण

विवरणीय		2009-11	
		राशि (₹ में)	राशि (₹ में)
a. परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
(घाटा) व्यय पर/ सकल आधिक्य		2,423,282.50	
चालू सम्पत्तियों एवं दायित्वों में बदलाव			
अग्रिम में कमी/(बढ़ोतरी)		-165,000.00	
पर्वदत व्यय में बढ़ोतरी/(कमी)		-355,344.00	
अन्य चालू सम्पत्ति में बढ़ोतरी/(कमी)		-30,815,162.50	
जमा प्राप्ति सम्पत्ति /(कमी)		440,000.00	
विविध लेनदार में बढ़ोतरी/(कमी)		10,185,159.32	
अन्य चालू दायित्वों में बढ़ोतरी/(कमी)		348,233.00	
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध रोकड़ (उपयोग में लाया गया)	A		-17,938,831.68
b. निवेश की गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
स्थायी सम्पत्ति का (क्रय)		-13,942,164.82	
जोड़ +ह्रास		2,910,711.82	
निवेश की गतिविधियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह (उपयोग में लाया गया)	B		-11,031,453.00
c. वित्त प्रबंध गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
एमएचआरडी के अनुदा में शुद्ध बदलाव		20,746,788.18	
आंतरिक संसाधनों के शुद्ध रोकड़ का उपयोग		10,815,162.50	
वित्त प्रबंध गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध रोकड़ (उपयोग में लाया गया)	C		31,561,950.68
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में शुद्ध बढ़ोत्तरी/कमी			2,591,666.00
जोड़ : अवधि की शुरूआत में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य अवधि के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य			-
- रोकड़ शेष		75,985.00	
- बैंक शेष		2,515,681.00	
कुल			2,591,666.00

सूचीपत्र–16

31 मार्च 2011 तक की बैलेंस शीट में शामिल और जोड़ी गई महत्वपूर्ण लेखा नीति और टिप्पणी -

A. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां -

1. लेखा पद्धति- सभी आय और व्यय, जो आय और व्यय की सीमा में हैं, और जिनका विशेष रूप से किसी अन्य प्रकार के लिए उल्लेख नहीं गया है, उनका लेखा वाणिज्यिक तौर पर रखा गया है। वैसे मद जो सामग्री नहीं हैं उनका लेखा, नकद आधार पर दर्ज है।
2. अचल आस्ति-अचल आस्तियां का वर्तमान तारीख तक उल्लेख कीमत रहित मूल्यह्रास के रूप में किया गया है। इस मूल्य में अचल आस्तियों को वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए किए गए आवश्यक आकस्मिक व्यय भी शामिल हैं।
3. मूल्यह्रास-मूल्यह्रास का लेखा आयकर नियमों और इसके द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किया गया है। इस मूल्यह्रास का समायोजन मानव संसाध विकास मंत्रालय, **MHRD** द्वारा प्राप्त पूंजी अनुदान के निमित्त किया गया है, और इसे आय और व्यय लेखा में दाखिल नहीं किया गया है।
4. अनुदान-अनुदान की पहली किस्त विशुद्ध रूप से पूंजी अनुदान थी। हालांकि 1,23,15,000/- रूपये की दूसरी किश्त पूंजी और राजस्व अनुदान थी, लेकिन इन दोनों मदों को विभाजित नहीं किया गया था। अतः इसकी 50 प्रतिशत राशि पूंजी अनुदान के रूप में और शेष 50 प्रतिशत राशि राजस्व अनुदान के रूप में उपयोग की गई। 2,00,00,000/- रूपये की तीसरी किस्त पूंजी और राजस्व के लिए अनुमोदित की गई थी लेकिन 31 मार्च 2011 तक यह प्राप्त नहीं हुई थी और इसका वाणिज्यिक आधार पर लेखा रखा गया था। पर्याप्त सूचना की कमी के कारण पुनः इस राशि का 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान और बाकी 50 प्रतिशत राजस्व अनुदान के तौर पर रखा गया।

B. लेखा टिप्पणी -

1. अनुदान को विभाजित करने के सिलसिले मे मंत्रालय द्वारा पर्याप्त सूचना के अभाव में अचल आस्ति से पूंजी अनुदान को घटाया नहीं गया है। यदि अनुदान का कुछ हिस्सा कुछ विशेष अचल आस्ति के लिए प्रयोग में लाया गया है, तब मूल्यह्रास को अधिक आंका गया है।
2. दो वर्षों के एमबीए पाठ्यक्रम, पीजीडीएम के सभी खर्च मंत्रालय द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान से किए गए हैं। इसलिए संस्थान की सभी पावतियों की अंतरण अदायगी, सामान्य कोष से संव्यावसायिक खर्च के 7,50,000/-रूपये की अदायगी के बाद की गई है।
3. आय-व्यय लेखा में मूल्यह्रास के रूप में 1,08,15,162.50 रूपये का घाटा दर्शाया गया है जिसे मंत्रालय द्वारा प्राप्ति के रूप में दर्शाया गया है।
4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से एकत्रित कर, जहां आवश्यक है, वहां उल्लेख किया गया है।